

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/348 /
दो-14-11/22

जबलपुर, दिनांक 08 / फरवरी, / 2022.

श्री विपिन कुमार अग्रहरि, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को पात्रतानुसार दिनांक 22.11.2021 से 05.12.2021 तक 14 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 06.12.2021 से दिनांक 22.12.2021 तक 17 दिन का असाधारण अवकाश (E.O.L) स्वीकृत किया गया है ।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार
सही / -


(अभिषेक गौड़)
ओ.एस.डी.

पृष्ठांकन क्रमांक C/349 /
दो-14-11/22

जबलपुर, दिनांक 08 / फरवरी / 2022.

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/232/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 14.01.2022 के संदर्भ में श्री विपिन कुमार अग्रहरि, निजी सहायक, का अवकाश आवेदन पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा पर्ची अवकाश लेखा वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अभिषेक गौड़)
ओ.एस.डी.